

SHRI M RUTHNASWAMY (Tamil Nadu) May I ask the Minister whether the exodus from East Pakistan is only from a particular district or from the interior? Is it mainly from the border districts of East Pakistan? I am asking this question because there is a view held in certain quarters that it is part of the defence policy of Pakistan to clear the border of all minority communities in order to secure their border. If that is a part of the defence policy of Pakistan, there is very little that the Government of India can do by way of reminding them or by way of protest or by way of suggesting co-operation and other methods. If it is a part of their defence policy, we can do nothing about it except to ask them to send members of these minority communities on the border districts to the interior of Pakistan.

SHRI DINESH SINGH : According to our information most of them come from the village within the jurisdiction of Dumrai, Ranpaul and Betdaraghat Police Station of Khulna District in East Pakistan.

श्री उपसभापति राजनारायण जी, बोलिये क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मंत्री जी के उत्तर ने एक अव्यवस्था-त्पन्न की है, आप कृपा कर के अपनी व्यवस्था से उसे ठीक कर दें। श्री अब्दुल गफ्फार खा को आमंत्रण केवल सरकार का नहीं था, सारे राष्ट्र ने श्री अब्दुल गफ्फार खा को आमंत्रित किया था। मंत्री महोदय ने "हमने" "हमने" कह कर यह एक गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की है कि शायद सरकार ने श्री अब्दुल गफ्फार खा के बुलाने में अगवाई की। यह गलत है। आप इसको ठीक कर दें। यह सरकार कर्तई नहीं चाहती थी कि श्री अब्दुल गफ्फार खा यहां आये। लगातार, सतत प्रयत्न था डा० लोहिया का, हम लोगो का, हम रुंद काबल गये थे श्री अब्दुल गफ्फार खा से मिलन कि वह भारत आये, अच्छा हुआ वह आये और उन्होंने . . .

श्री उपसभापति : आपकी व्यवस्था की बात सुन ली, अब आप बैठिये।

श्री राजनारायण : आकर के इस सरकार की भर्त्सना की, दिल खोल कर भर्त्सना की। इसके लिये मैं इस मदन में जो हमखयाल है उनकी ओर से श्री अब्दुल गफ्फार खा को मुबारकबाद देता हूँ कि इस सरकार को उन्होंने लताड़ा।

श्री उपसभापति : अच्छा अब आप बैठिये।

PAPERS LAID ON THE TABLE

- I AUDIT REPORT (1968-69) ON THE ACCOUNTS OF THE RUBBER BOARD, KOTTAYAM.
- II ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968-69) OF THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED AND RELATED PAPERS

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(क) 1968-69 के वर्ष के लिए रबड़ बोर्ड कोटायाम के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।
[Placed in Library. See No. LT-3417/70].

(ख) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति

(i) 1968-69 के वर्ष के लिए स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेख, लेखाओं पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library See No. LT-3416/70 for (i) and (ii)].

MOTION FOR ELECTION OF ONE MEMBER TO THE COIR BOARD

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करना हूँ :

"नारियल जटा उद्योग नियमावलि, 1954 के नियम 4(1) (ड) के साथ

पठित नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड) के अनुसार यह सभा उस रीति से जैसे कि सभापति निदेश दें सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को 2 अप्रैल, 1970 को श्री शेरखा के राज्य सभा के सदस्य न रहने के कारण खाली हुए स्थान पर, ऐसी अवधि के लिए जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, सदस्य होने के लिये निर्वाचित करने की कार्यवाही करे। ”

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The programme of election will be published in the Parliamentary Bulletin.

LEAVE OF ABSENCE TO SHRI BABUBHAI M. CHINAI

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have to inform Members that the following letter dated the 30th April, 1970, has been received from Shri Babubhai M. Chinai :—

“ I was planning to come to Delhi to attend the Rajya Sabha but due to mild heart trouble, I am bed-ridden. May, I therefore, request you kindly to request the Rajya Sabha to grant me leave of absence from attending this Session ?”

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Babubhai M. Chinai for remaining absent from all meetings of the House during the current session ?

(No hon. Member dissented)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Permission to remain absent is granted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE FINANCE BILL, 1970

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following message

received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :—

“In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Finance Bill, 1970, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 6th May, 1970.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.”

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.

RE CERTAIN REQUESTS MADE BY SHRI RAJNARAIN

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान्, हमको आपसे एक अर्ज करनी है। अर्ज यह है कि, . . .

وائس چیمبرمین (شری اکبر علی خان) : کیا آپ نے اجازت لی ہے ؟

†[उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : क्या आपने इजाजत ली है ?]

श्री राजनारायण : हां, हा, हमने उनको लिख कर भेज दिया था, टेलीफोन से कह दिया

وائس چیمبرمین (شری اکبر علی خان) : انہوں نے کیا کہا ؟

†[(उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : उन्होंने क्या कहा ?]

श्री राजनारायण : हमारी उनसे मुलाकात तो होती नहीं, उन्होंने क्या कहा है कैसे जानूँ। मुझ मेक्रेटरी साहब ने खबर दी कि प्रेसीडेंट ने कहा अगर आप चाहते हैं तो वह न कहे और अंततोगत्वा आप पर डिपेन्ड करता है।

وائس چیمبرمین (شری اکبر علی خان) : جو مسئلہ آپ اٹھانا چاہتے

ہیں اتنا امپورٹینٹ تو نہیں ہے

†[] Hindi transliteration.